10/-

राजस्व रिवीजन /2016

श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल – ग्वालियर (म. प्र.)

निग-962-पीबीआर-16

1. पूरण मल पिता मोती लाल भटवेरा
   आयु– 65 साल, धन्धा– खेती
2. हिम्मत पिता मोती लाल भटवेरा
   आयु– 60 साल, धन्धा– खेती
3. रमेश पिता मोती लाल भटवेरा
   आयु– 58 साल, धन्धा– खेती
4. जस्सू उर्फ जसवन्त पिता मोती लाल भटवेरा
   आयु– 50 साल, धन्धा– खेती
   सभी निवासीगण – ग्राम – हरीनगर ,
   तहसील – थांदला
   जिला – झाबुआ (म.प्र.) ——प्रार्थीगण

176/03-03-2016

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री संतोष चौहान
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 3.3.2016
को प्रस्तुत।

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

शान्तिलाल पिता मकना प्रजापत
आयु– 40 साल, धन्धा– व्यवसाय
निवासी ग्राम – हरिनगर , तहसील –थांदला
जिला – झाबुआ (म.प्र.) .... प्रतिप्रार्थी

CF 20.4.16

रिवीजन धारा 7 म.प्र. वास स्थान दखलकार (भूमिस्वामी अधिकारो का प्रदान किया जाना अधिनियम 1980 के अन्तर्गत

प्रार्थीगण व्दारा ,यह रिवीजन , श्रीमान अपर कलेक्टर , जिला – झाबुआ (म.प्र.) व्दारा प्र. क. 09/अपील/2015–2016 में दिनांक 11.02. 2016 को पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर , माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यो एव आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि :–

R 962-PBR/16 महावुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
21.4.2016	आवेदकगण की ओर से श्री संतोष चौहान अभिभाषक उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के जिस आदेश दिनांक 11.2.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, वह अंतिम स्वरूप का आदेश होकर अपील योग्य है। अपील योग्य आदेश के विरुद्ध संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रतिबन्धित है। अत: आवेदकगण को निर्देश दिये जाते है कि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करें। यह निगरानी विधि के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत होने से समाप्त की जाती है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) 21-4-16

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.